फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

भादरराम बनाम लालचंद व अन्य

किस्म मुकदमाः–212 आर.टी.ए. प्रकरण संख्याः–280/2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04/2/2020	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। बहस वकील उभय पक्ष दिनांक 21.01.2020 को सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बताया कि प्रार्थी के नाम से रोही सरदारपुरा खर्था के खसरा संख्या 161/2 में 2.695 है0 रकबा टी0सी0 आवंटन होकर टी0सी0 से खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड होकर प्रार्थी के कब्जा काश्त में चला आ रहा है। प्रार्थी को उक्त रकबा शुरू से टी0सी0 आवंटन हुआ था व प्रार्थी ने उक्त रकबा का बजड़ तोड़कर काबिल काश्त किया व प्रार्थी के परिवार सुधार कर समतल किया व प्रार्थी के नाम से खातेदारी इंतकाल संख्या 94 दिनांक 18.09.2009 को स्वीकृत हुआ इस प्रकार प्रार्थी अपने नाम के रोही सरदारपुरा खर्था के खसरा संख्या 161/2 के 2.695 है0 रकबा खातेदार कृषक है तथा प्रार्थी अपने नाम के उक्त रकबा का फसली फायदा उठाने का हकदार है, प्रार्थी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को इस रकबा पर काबिज होने का हकदार नही है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से भी प्रार्थी के रकबा से चिपता रोही सरदारपुरा खर्था के खसरा संख्या 189/9 में 9.614 है0 रकबा है यह रकबा प्रार्थी के रकबा से उत्तर की तरफ है तथा प्रार्थी के खसरा के रकबा की उत्तरी सींव से चिपता अप्रार्थी संख्या 1 का ही रकबा है। अप्रार्थी प्रभावशाली है। वह प्रार्थी के रकबा पर 124 फीट चौडाई व 4.00 बीघा लम्बाई में काबिज हो गया। दिनांक 22.06.2015 को पटवारी हल्का से पैमाईश भी करवा दी, तो अप्रार्थी ने आश्वासन भी दिया कि वह यह कब्जा हटा लेगा, किन्तु उन्होने कब्जा नही हटाया। अप्रार्थी एक अतिक्रमी की हैसियत से प्रार्थी के नाम खातेदारी रकबा पर काबिज होकर फसली फायदा उठा रहा है, जबकि वह इसके बिलकुल हकदार नही है। इसलिये प्रा0पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के नाम रोही सरदारपुरा खर्था के खसरा संख्या 162/2 के उत्तरी दिशा का 124 फीट चौड़ाई यानि 15 बिस्वा चौड़ा व 4.00 बीघा लम्बाई का कुल 3.00 बीघा रकबा जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 ने अतिक्रमी की हैसियत से कब्जा कर रखा है को रिसीवर किया जाकर कब्जा बहक रिसीवर दिलाया जावे या 8,000/– रूपये प्रतिबीघा प्रतिवर्ष नगद प्रतिभूमि राशि अप्रार्थी से जमा करवाई जाकर यह राशि प्रार्थी को दिलवाई जावें। कानूनी नजीर आरआरटी 2003 पेज 1216, आरआरटी 2010(1) पेज 203, आरएलडब्लयू 2004 पेज 323 व आरआरडी 2001 पेज 427 प्रस्तुत की। वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का भी गहन अध्ययन किया एवं प्रस्तुत कानून नजीर का भी अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि "अप्रार्थी प्रार्थी के रकबा की ओर बढ़ रहा है तथा दिनांक 22..06.2015 को पटवारी से पैमाईश भी करवा दी, किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी के रकबा पर से कब्जा नही हटाया है।" प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में दिनांक 22.06.2015 को की गई पैमाईश की दैनिक डायरी की प्रति प्रस्तुत नही की, जिससे यह स्पष्ट हो कि पटवारी द्वारा क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। मात्र कथनों के आधार पर किसी रकबा को रिसीवर नही किया जा सकता है। रिसीवर नियुक्ति एक बहुत कठोर अनुतोष है जब तक भूमि की क्षति आदि सिद्ध न हो रिसीवर नियुक्त नही किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में ऐसा प्रतीत नही होता है कि आराजी को क्षति होगी। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीर भी इस प्रकरण पर चस्पा नही होती है। इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रा0पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आधारहीन होने से अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 04.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.02.19 17:43:03 IST
Reason: SelfAttested